

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना (सीजीटीएमएसई)

उद्देश्य:

- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) को संपार्श्विक मुक्त/तृतीय पक्ष गारंटी मुक्त ऋण के लिए ऋण गारंटी सहायता की सुविधा प्रदान करके प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों को स्वरोजगार के अवसरों में उद्यम करने के लिए प्रोत्साहित करना।

मुख्य लाभ

- करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए ऋण गारंटी, बिना किसी संपार्श्विक और तीसरे पक्ष की गारंटी के।
- गारंटी कवरेज 75% से 90% तक है।

योजना निम्नलिखित के लिए लागू है:

- उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत एमएसई।

पात्र गतिविधि:

- एमएसएमईडी अधिनियम के अनुसार सभी गतिविधियाँ पात्र हैं।

विस्तार में जानकारी:

- पात्र सदस्य ऋणदाता संस्थाओं (एमएलआई) द्वारा नए तथा मौजूदा एमएसई को, जिसमें सेवा उद्यम, व्यापार (खुदरा/थोक व्यापार) और शैक्षिक/प्रशिक्षण संस्थान शामिल हैं, दी जाने वाली कोई भी संपार्श्विक/तृतीय-पक्ष गारंटी मुक्त ऋण सुविधा, जिसकी अधिकतम गारंटी सीमा 5 करोड़ रुपये है, इस योजना के अंतर्गत गारंटी के लिए पात्र है।

- हाइब्रिड सुरक्षा मॉडल भी पात्र है, जिसमें एमएलआई को ऋण सुविधा के एक हिस्से के लिए संपार्श्विक सुरक्षा प्राप्त करने की अनुमति है, जबकि ऋण सुविधा के शेष असुरक्षित हिस्से (अधिकतम 5 करोड़ रुपये तक) को योजना के तहत कवर किया जा सकता है।

आवेदन कैसे करें:

- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी ट्रस्ट फंड (सीजीटीएमएसई) के एमएलआई (बैंक/एनबीएफसी) के माध्यम से।
- विस्तृत दिशानिर्देशों के लिए कृपया <https://www.cgtmse.in> पर जाएं।